

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,  
विशाल कामलेक्स,  
19-ए, विधान सभा मार्ग,  
लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,  
उत्तर प्रदेश ।

संख्या: एस.पी.एम.यू./यू.पी.एम्बुलेंस सेवा/12-13/ 1328-72

दिनांक 07 सितम्बर, 2012


**विषय: उत्तर प्रदेश एम्बुलेंस सेवा के संवर्धनार्थ पी.ओ.एल. हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।**  
महोदय,

आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश एम्बुलेंस सेवा योजना दिनांक 22.08.2012 से प्रदेश में लागू की गई है एवं आपके जनपद को नई एम्बुलेंस विकास खण्डों की संख्या एवं जिला अस्पतालों की संख्या के आधार पर उपलब्ध करायी जा रही है तथा नियमित वाहन चालकों की उपलब्धता के दृष्टिगत सविदा वाहन चालक की सेवा-प्रदाता एजेंसी के माध्यम से तैनाती हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं जिसके लिए आपके द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रदेश की जनता को 24X7 स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये वाहनों हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में संलग्न विवरण के अनुसार पी.ओ.एल. हेतु रू0 500.00 प्रति वाहन, प्रति दिन की दर से धनराशि अवमुक्त जा रही है।

उत्तर प्रदेश एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत उपलब्ध कराये वाहनों हेतु प्रत्येक वाहन हेतु एक नई लॉगबुक तैयार करा लें तथा जिस तिथि से इन वाहनों का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा उस तिथि से ईंधन का उपयोग कराये एवं धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करें। प्रति माह आयोजित होने वाली जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में इन वाहनों के उपयोग (फिरियों की संख्या, रोनियों की संख्या, जे.एस.एस.के. लाभार्थियों की संख्या, वाहन चालकों की उपलब्धता तथा ईंधन का उपयोग आदि) का विवरण प्रस्तुत कर अवलोकित कराया जाय। इस मद में अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी तरह का व्यावर्तन (Diversión) न किया जाय तथा प्रश्नगत धनराशि का व्यय-विवरण महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं वित्त नियंत्रक, एस.पी.एम.यू.,एन.आर.एच.एम. को प्रतिमाह उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक : यशोवत**

भबदीप,

  
(मुकेश कुमार मिश्रा)  
मिशन निदेशक।

पत्रांक: एस.पी.एम.यू./यू.पी.एम्बुलेंस सेवा/12-13/

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय एवं जिला परियोजना प्रबन्धक, एन.आर.एच.एम., उ0प्र0।

(मुकेश कुमार मिश्रा)  
मिशन निदेशक।